न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व प्रार्थना पत्र सख्ंया– 55–2016

श्रीमती बरजी पत्नी स्व0 श्री जीवण जाति गुर्जर निवासी ग्रात खूटिया, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर, राजस्थान। ....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान। ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री सलीम मोहम्मद
   वकील प्रार्थिया
2. पैरोकार आप्रार्थी
   उपस्थित

आदेश

प्रार्थिया ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि वह ग्राम खूटियां तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की रहने वाली है तथा उसकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि ख0 न0 3699 रक्बा 12–00–00 बीघा ग्राम जालिया द्वितीय में स्थित है जिस पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है इसलिए प्रार्थिया को अपने खेत पर कृषि करने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थिया को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित सरकारी सिवायचक गैर मुमकिन आराजी ख0 न0 3701 रक्बा 3–08–00 बीघा व 3702 रक्बा 1–06–00 बीघा तथा 3707 रक्बा 5–00–00 बीघा से 20 फिट चौडा रास्ता बाजार भाव दर से दिलवाने की कृपा करावे। अपेक्षित मार्ग नक्शा लंक लॉट में परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया हैं ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने पर उसकी और प्रयाप्त अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षान सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 372 में प्रार्थिया ख0 न0 3699 रक्बा 12–00–00 बीघा तथा 3813 रक्बा 3–00–00 बीघा किता 2 रक्बा 15–00–00 बीघा भुमि की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 10.04.2015 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का इस न्यायालय/कार्यालय में प्रस्तुत किया हुआ है। कि ख0 न0 3701, 3702, 3707 किस्म गैरमुमकिन सरकारी भूमिया पहाडी व खढे है जिनसे होकर प्रार्थिया अपने खेतो पर आती जाती रही है लेकिन सर्व श्री ओनाड(घासी) पुत्र चर्तुभुज, दुदा, नारायण प्रभु पिता ओनाड व रामलाल , सुखदेव,सौदान, व माधू पिता मेवा तथा खेमा पुत्र सुखदेव सभी जाति गूजरान निवासीगण खूटियां ने इन गैरमुमकिन भूमियो में JCB से बडे बडे खडडे खोद दिये है और प्रार्थिया के खेत पर आने जाने के रास्ते को खुर्द बुर्द कर बंद कर दिया है मना करने पर गाली गलोच करते है इसलिए इन नम्बरो में रास्ता तरमीम करवाया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बिजयनगर से जांच करवाने पर पटवारी हल्का जालिया द्वितीय द्वारा सुचित किया गया है कि प्रार्थिया के जालिया द्वितीय स्थित खेत ख0 न0 3699 पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है प्रार्थिया ख0 न0 3701, 3702, 3707 जो पहाडियां एवं गैर मुमकिन खडडे है इसमें रास्ता तरमीम करवाना चाहती है इस रास्ते के लिए ख0 न0 3701, से 541 x 18 कुल 9738 फिट तथा 3702 के 118.8 x 18 फिट कुल 2138 फिट तथा 3707 से 316.8 x 18 कुल 5702 फिट भूमि रास्ते मे जानी है जिसके अनुसार ख0 न0 3701 की

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

11 बिस्वा तथा 3702 की 0–02–10 बिस्वा तथा 3707 की 06–06–10 बिस्वा कुल 1 बीघा जमीन में रास्ता तरमीम किया जाना है। ग्राम जालिया द्वितीय मे अंसिचित भूमि की दर DLC अनुसार रु 27000/– है।

इन सभी तथ्यों पर विवेचन करने पर प्रार्थिया की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता। प्रार्थिया भी सरकारी आराजी गैरमुमकिन से रास्ता चाहती है। जिस बाबत् तहसीलदार बिजयनगर के जांच प्रतिवेदन में कोई एतराज नही आया है। एसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी ख0 न0 3699 रक्बा 12 बीघा पर जाने के लिए ख0 न0 3701 के रक्बा 11 बिस्वा 3702 के रक्बा 0–02–10 बिस्वा तथा 3707 के रक्बा 0–06–10 बिस्वा कुल 1 बीघा भूमि पर 18 फिट चौडा रास्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ठ (क) अनुसार तरमीम करने के आदेश भूमि की दो गुणा कीमत रु 54,000/– पर स्वीकृति दी जाती हैं। तहसीलदार बिजयनगर रु 54,000/– प्रार्थिया से खजाने सरकार जमा करवाकर नक्शा लंकलॉट में परिशिष्ठ (क) के अनुसार तरमीम करावे। यथानुसार तहसीलदार बिजयनगर पर तहरीर जारी हो। बाद जमा कराने राशि आदेश कि पालना हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:48:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: